हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 – Certifies Organization)

प्रेषकः सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।	सेवा में, सभी प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक।

क्रमांक 3444 /सी0सै0 दिनांक : 31.01.2024

विषयः—<u>सैकेण्डरी/सी0 सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षाएं फरवरी/मार्च—2024 हेतु अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के ऑन—लाईन आवेदन करने की तिथि निर्धारण तथा परीक्षाओं सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया पूर्ण करने बारे</u>।

विषयांकित के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षाएं फरवरी/मार्च—2024 के हेतु अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्याथियों के **Online** माध्यम से आवेदन फार्म भरवाने की तिथियां एवं शुल्क संरचना निम्न प्रकार से हैः—

01. सैकेण्डरी परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 750/—रूपये, माइग्रेशन शुल्क 50/—रूपये, प्रायोगिक विषय शुल्क 100/—रुपये कुल 900/—रूपये तथा 200/—रुपये अतिरिक्त विषय शुल्क सहित ऑन—लाईन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।

02. सी0 सैकेण्डरी परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 900/—रूपये, माइग्रेशन शुल्क 100/—रूपये, प्रायोगिक विषय शुल्क 100/—रुपये कुल 1100/—रूपये तथा 200/—रुपये अतिरिक्त विषय शुल्क सहित ऑन—लाईन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन भरवाने की तिथियां का निर्धारण निम्न प्रकार से हैः—

कक्षा	बिना विलम्ब शुल्क आवेदन करने की तिथि	1000/रूपए विलम्ब शुल्क सहित आवेदन करने की तिथि
सैकेण्डरी/ सी0 सैकेण्डरी	31.01.2024 से 07.02.2024	08.02.2024 से 09.02.2024

उपरोक्त के अतिरिक्त सभी अस्थाई विद्यालयी मुखियाओं द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है—:

03. सभी अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय मुखिया दिनांक 31.01.2024 से दिनांक 09.02.2024 तक अपने—अपने विद्यालय की स्टाफ स्टेटमैंट व केन्द्र ऑप्शन भरना सुनिश्चित करेंगें।

04. सभी अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय जिन द्वारा परीक्षा हेतु आवेदन करते हुए तथा केन्द्र ऑप्शन प्रक्रिया पूर्ण कर लो जाती है, की फाईनल कट लिस्ट दिनांक 10.02.2024 को विद्यालयों की Login Id पर जारी की जाएगी। ऐसे विद्यालय जिन द्वारा केन्द्र ऑप्शन नहीं भरी जाऐगी, का परीक्षा केन्द्र बोर्ड की निर्धारित नीति अनुसार अलॉट कर दिया जाएगा जिसके लिए विद्यालय मुखिया स्वयं जिम्मेवार होगा।

उप—सचिव (परीक्षाएं)
कृतः सचिव